

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/4588 /

जबलपुर, दिनांक २५/०७/२०२३

दो-१४-४१/२३

हर्षिता कामिनी, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को चिकित्सीय आधार पर दिनांक १४.०२.२०२३ से १७.०२.२०२३ तक ४ दिवस का अर्जित अवकाश चेतावनी के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में बिना सूचना/आवेदन पत्र के अवकाश का उपभोग न करें अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। स्वीकृत अर्जित अवकाश पश्चात् २४ दिवस अर्जित अवकाश की पात्रता शेष है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(हेमन्त जोशी)

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)


पृष्ठांकन क्रमांक A/4589 /

जबलपुर, दिनांक २५/०७/२०२३

दो-१४-४१/२३

प्रतिलिपि :-

१. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
२. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
३. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
४. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
५. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
६. हर्षिता कामिनी, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सदीप शर्मा)

रजिस्ट्रार (न्यायिक-दो)